25011/1/75-अभा०से(II)

भारत सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 जुलाई/1975

अधिसूचना

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, सम्बन्ध राज्यों की सरकारों से परामर्श करने के पश्चात, अखिल भारतीय सेवा(मृत्यु- तथा सेवा-निवृति प्रसुविधाएं) नियम, 1958 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का नाम अखिल भारतीय सेवा(मृत्यु तथा सेवा-निवृति/प्रसुविधाएं) चतुर्थ संशोधन नियम, 1975 है।

(2) ये 8 जनवरी, 1975 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. अखिल भारतीय सेवा(मृत्यु तथा-सेवा निवृत्ति/ प्रसुविधाएं) नियम, 1958 में नियम 19 के पश्चात, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात:-

"19.क सेवा के सदस्यों के लिए जमा से संबद्ध बीमा स्कीम:- सेवा के सदस्य की मृत्यु पर, अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियम, 1955 के अधीन उसकी भविष्य-निधि में जमा रकम की प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों को, उस सदस्य की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान उक्त खाते में उसके औसत अतिशेष के बराबर अतिरिक्त रकम निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर मंजूर की जाएगी, अर्थात:-

(क) उक्त तीन वर्ष की अवधि में उक्त खाते में किसी भी समय अतिशेष 3000 रु० से कम न हुआ हो।

(ख) बीमा का संरक्षण 10,000रु० तक की राशि तक उपलब्ध होगा और निधि में 10,000 रुपए से अधिक राशि को उस अतिरिक्त फायदे के प्रयोजन के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा;

(ग) यह लाभ तभी अनुज्ञेय होगा जब सेवा के सदस्य ने अपनी मृत्यु के समय तक कम से कम पांच वर्ष सेवा की हो।

(ए०के०गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार।

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड,
नई दिल्ली।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) नियम, 1958 को 8 जनवरी, 1975 से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित किया जा रहा है, क्योंकि वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 8 जनवरी, 1975 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ- 9(10)-ई0वी(वी)।73 में दी गई व्यवस्थाओं को अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर उसी तारीख से लागू किया गया है। इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से किसी भी अधिकारी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

(ए0 के0 गुप्ता)

अवर सचिव भारत सरकार